

संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकरारनामा

(सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22.01.2021 के अधीन)

यह एकरारनामा एवं संविदा के आधार पर चयनित/नियोजित होने वाले श्री/सुश्री/श्रीमती के बीच निम्नलिखित शर्तों के साथ की जा रही है :-

1. यह नियोजन केवल (पद का नाम) के लिए किया गया है।
2. यह नियोजन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22.01.2021 में निहित प्रक्रिया, मार्गदर्शक सिद्धान्त तथा अनुमान्य सुविधाओं के अधीन संविदा के आधार पर किया जा रहा है।
3. संविदा के आधार पर नियोजित श्री/श्रीमती/सुश्री..... को रू0 (..... रुपये) एकमुश्त पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा।
4. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।
5. इस नियोजन के आधार पर भविष्य में नियमित, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
6. संविदा पर नियोजन के उपरांत नियोजित व्यक्ति, नियोजित स्थान हेतु अपने इच्छानुसार दो विकल्प दे सकते हैं, परन्तु इस संदर्भ में नियुक्ति प्राधिकार का निर्णय अन्तिम होगा। नियुक्ति प्राधिकार अवश्यकतानुसार विकल्प से भिन्न, किसी भी अन्य नियोजन स्थल पर नियोजित करने का निर्णय ले सकते हैं।
7. नियोजन के समय नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
8. संविदा नियोजित कर्मों को सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22.01.2021 में निधारित शर्तों के अधीन संतोषजनक कार्य निष्पादन करना होगा।
9. कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर मूल्यांकन के आधार पर कभी भी सेवा समाप्त किया जा सकता है। यह योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति एवं इसके लिए मिलने वाली राशि पर निर्भर करेगा।
10. संविदा पर नियोजन के पश्चात दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपर्युक्त शर्तें मान्य होंगी। नियोजित व्यक्ति उपर्युक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।
11. यह एकरारनामा दिनांक से प्रभावी होगा।

(परियोजना निदेशक, आत्मा का हस्ताक्षर)
पूरा नाम



(नियोजित व्यक्ति का हस्ताक्षर)
पूरा नाम
पता

शपथ पत्र प्रारूप

मैं, (नाम), पिता का नाम,
 पूरा पता:....., मोबाईल नं० शपथपूर्वक
 कहता/कहती हूँ कि कार्य के दौरान पूर्व के संस्थानों/विभागों/निदेशालयों/
 संगठनों/बोर्ड/निगम आदि के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी आरोप मेरे ऊपर नहीं
 लगाया गया है, न ही मेरे विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई की गई है और न ही
 मुझे इस हेतु संबंधित संस्थान/न्यायालय से दंडित किया गया है।

मेरे द्वारा आवेदन में सम्मिलित सभी प्रमाणपत्र एवं अंकपत्र वैध हैं। मैं इसकी
 पुष्टि करता/करती हूँ। यदि मेरा कोई भी प्रमाणपत्र/अंकपत्र आत्मा कार्यालय द्वारा
 संबंधित संस्थानों से जाँच कराने के क्रम में अवैध पाया जाता है तो मेरे ऊपर किसी
 भी प्रकार की कार्रवाई करने हेतु आत्मा स्वतंत्र होगा।

नाम -

पूरा पता-

मोबाईल नं०-